शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

संखया-18/2017/बी-2 1570/दस-2017-आर-2/2016

प्रेषक,

लहरी यादव,
वितीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश
4. प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 06 नवम्बर 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-2018 के द्वितीय त्रैमास के प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ो के लेखामिलान के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संखया-टी. एम.- II/ग्रुप-IV/लेखामिलान /एफ.- 18/ 70108 दिनांक 12, अक्टूबर 2017 द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आंकड़ो के त्रैमासिक लेखा मिलान की प्रक्रिया के क्रम में (माह जुलाई, 2017 से सितम्बलर2017) तक के लेखांकित प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ो का विभागीय आंकड़ो से मिलान के लिए दिनांक 13 नवम्बर 2017 से 15 दिसम्बर 2017 तक की अवधि निर्धारित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/ नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे वित्तीय वर्ष 2017-2018 के द्वितीय त्रैमास (माह जुलाई, 2017 से सितम्बिर 2017) के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखामिलान कार्य संलग्न निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित करायें तथा जिस समय लेखामिलान दल, लेखामिलान हेतु महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद जायें तब वे अपने साथ डी.डी.ओ. रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी.एम.- 4) ले जाना सुनिश्चित करें ताकि लेखामिलान में पायी जाने वाली विसंगतियों के समायोजन हेतु प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी को उसी समय उपलब्ध करा दिये जायें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संखया-81 एवं 83 में अपने विभाग की योजनाओं से सम्बन्धित लेखाशीर्षो के व्यय के आंकड़ो का मिलान कार्य भी नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अपने विभाग के साथ ही सुनिश्चित कराया जायेगा। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखामिलान पूर्ण नही कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़ें अन्तिम समझे जायेंगे।

4- लेखामिलान हेतु यदि किसी विभाग का नाम संलग्न सूची में अंकित होने से रह गया है, तो ऐसे विभाग अपने विभाग का लेखामिलान कार्य दिनांक 15.12.2017 को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि लेखामिलान कार्य की उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई होने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी महालेखाकार कार्यालय के समक्ष अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

संखया-18/2017/बी-2 1570/दस-2017 आर-2/2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पत्र संखया-टी.एम.II/ग्रुप-IV लेखामिलान/एफ18/70108 दिनांक 12 अक्टूबर 2017 के संदर्भ में।
2. उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार, (लेखा व हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहरभवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

संखया-18/2017/बी-2-1570/दस-2017-आर-2/2016, दिनांक 06 नवम्बर 2017 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2017-18 से सम्बन्धित (माह जुलाई, 2017 से सितम्ब र2017 तक) के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकडो से तिथिवार मिलान हेतु कार्यक्रम।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
01.	आबकारी	13.11.2017
02.	आवास	
03.	उधोग विभाग लघु उधोग एवं निर्यात प्रोत्साहन खानें और/भारी एवं हथकरघा उधोग/खादी एवं ग्रामोयोग/खनिज (मुद्रण तथा लेखन सामग्री/ मध्यम उद्योग	
04.	आई टी.एवं इलेक्ट्रनिक्स विभाग	14.11.2017
05.	ऊर्जा	
06.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	
07.	रेशम विभाग	
08.	कृषि विभाग	15.11.2017
09.	परती भूमि विकास	
10.	समन्वय विभाग	
11.	कृषि विपणन विभाग	16.11.2017
12.	भूमि विकास एवं जल संसाधन	
13.	ग्राम्य विकास विभाग	
14.	भूगर्भ जल विभाग	
15.	लघुसिंचाई	17.11.2017
16.	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	
17.	पंचायती राज विभाग	
18.	पशुधन	20.11.2017
19.	दुग्ध विकास	
20.	मत्स्य	
21.	सहकारिता	
22.	कार्मिक एवं नियुक्ति	21.11.2017
23.	खाद्य एवंरसद	
24.	खेल एवं युवाकल्याण	
25.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	23.11.2017
26.	गृह (कारागार)	
27.	गृह (पुलिस)	
28.	नागरिक सुरक्षा	
29.	राजनीतिक पेंशन	24.11.2017
30.	गृह (गोपन)	

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
31.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	24.11.2017
32.	परिवार कल्याण विभाग	
33.	चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी)	27.11.2017
34.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	
35.	होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग	
36.	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	
37.	नगर विकास	28.11.2017
38.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	
39.	नागरिक उड्डयन	
40.	भाषा	
41.	नियोजन	30.11.2017
42.	निर्वाचन	
43.	न्याय	
44.	परिवहन	
45.	वित्त विभाग	01.12.2017
46.	पर्यावरण	
47.	प्रशासनिक सुधार	
48.	प्राविधिक शिक्षा	
49.	अल्प संखयक कल्याण	04.12.2017
50.	महिला एवं बाल विकास	
51.	राजस्व	
52.	सहायता एवं पुर्नवास	
53.	राष्ट्रीय एकीकरण	05.12.2017
54.	लोक निर्माण	
55.	राज्य सम्पत्ति विभाग	
56.	वन	
57.	पर्यटन	06.12.2017
58.	विधान परिषद सचिवालय	
59.	विधान सभा सचिवालय	
60.	विधायी एवं संसदीय कार्य	
61.	अपारम्परिक ऊर्जा (नेडा)	07.12.2017
62.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	
63.	बेसिक शिक्षा	
64.	माध्यमिक शिक्षा	

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
65.	उच्च शिक्षा	08.12.2017
66.	श्रम	
67.	सचिवालय प्रशासन	
68.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	
69.	विकलांग कल्याण	11.12.2017
70.	पिछड़ावर्ग कल्याण	
71.	समाज कल्याण	
72.	जनजाति कल्याण	
73.	सतर्कता विभाग	12.12.2017
74.	सामान्य प्रशासन	
75.	मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल)	
76.	सार्वजनिक उद्यम	
77.	सूचना	13.12.2017
78.	सैनिक कल्याण	
79.	संस्थागत वित्त	
80.	स्टाम्प एवं पंजीयन	
81.	मनोरंजन कर	14.12.2017
82.	व्यापार कर	
83.	सांस्कृतिक कार्य	
84.	सिचाई	
	उक्त सूची के अतिरिक्त यदि कोई विभाग शेष हो	15.12.2017